भाग– ।।

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या...................

7– परियोजना/स्कीम का स्थान – मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 319/2013 के जनपद नैनीताल के अर्न्तगत विकास खण्ड हल्द्वानी के ग्राम लछमपुर (नकैल) को मोटरमार्ग से जोड़ने हेतु कच्चे मार्ग का सुधार/डामरीकरण, सूखी नदी पर 60 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु निर्माण।(वास्तविक ल0–1.976 किमी0)

i.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	–	उत्तराखण्ड
ii.	जिला	–	नैनीताल
iii.	वन प्रभाग	–	हल्द्वानी वन प्रभाग
iv.	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	–	1.08 है0 (आरक्षित भूमि)
v.	वन की कानूनी स्थिति	–	आरक्षित
vi.	हरियाली का घनत्व	–	0.00 – 0.10
vii.	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 – 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए	–	संलग्न है
viii.	भू–क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	–	यह क्षेत्र शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी पर सूखी नदी/आरक्षित वन क्षेत्र में है। भू क्षरण की सम्भावना न्यूनतम है।
ix.	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	–	वन क्षेत्र से लगा हुआ है।
x.	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयॉ अनुबन्धित की जाए)	–	सम्पूर्ण वन प्रभाग "शिवालिक हाथी रिजर्व" का हिस्सा है। उक्त क्षेत्र छकाता राजि के कालूखेड़ा क0सं0–2 में स्थित है।
xi.	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियॉ पाई जाती है यदि हां/ । तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	–	नहीं है
xii.	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हॉ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या	–	नहीं है
8-	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	–	मार्ग निर्माण में इस वन प्रभाग में 1200 मी0 लम्बाई व चौड़ाई 9 मी0 भू–भाग कुल 1.08 है0 वन भूमि का प्रयोग मार्ग सुधारीकरण/डामरीकरण व 60 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु का निर्माण हेतु न्यूनतम मांग है।
9-	क्या अधिनियम के उल्लघंन में कोई कार्य	–	नहीं

	किया गया है (हॉ/नहीं) यदि हॉ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लघंन सम्बन्धी कार्य अभी भी चाह रहे हैं।		नहीं।
10–	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:–		
I.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस–पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्डों की संख्या,प्रत्येक भू–खण्ड का आकार सिविल सोयम भूमि (बेतालघाट ब्लाक) काडा ग्राम।	–	संलग्न है।
II.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	–	लग्न है।
III.	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।	–	संलग्न है।
IV.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	–	
V.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण–पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।	–	संलग्न है।
11.	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिर्पोट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	–	संलग्न है।
12.	प्रभाग/जिला प्रोफाइल		
i.	जिला का भौगोलिक क्षेत्र (जिला नैनीताल)	–	4251 वर्ग कि0मी0
ii.	जिला/प्रभाग का वन क्षेत्र।	–	हल्द्वानी वन प्रभाग का क्षेत्र 02 जनपदों पर पड़ता है। 1– जनपद नैनीताल– 47808.62 है0 2– जनपद चम्पावत– 15651.38 है0 कुल योग– 63460.00 है0
iii.	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।	–	30 मामलें व 367.184 है0
iv.	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण	–	

(क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	–	--
(ख)	वनेत्तर भूमि	–	90.972 है0 व 2 रो0 कि0मी0 इस वन प्रभाग में प्रतिपूरक वनीकरण किया गया है।
	प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति		
(क)	वन भूमि पर	–	90.972 है0 व 2 कि0मी0
(ख)	वनेत्तर भूमि पर	–	–
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रसताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	–	संस्तुति सहित अग्रसारित

14. **प्रभागीय वनाधिकरी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी की टिप्पणी–** उक्त क्षेत्र नन्धौर वन्य जीव अभ्यारण्य के प्रस्तावित ईको सेन्सिटिव जोन की परिधि से बाहर रखा गया है। यह क्षेत्र वास्तव में वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र है। अतः वन्य जीव संरक्षण एवं जैव विविधता हेतु परियोजना बनाकर संलग्न की जा रही है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु रू0 100.00 लाख की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। वन एवं वन्य संरक्षण हेतु हल्द्वानी वन प्रभाग, द्वारा की गयी योजना का क्रियान्वयन वन विभाग द्वारा किया जायेगा।

दिनॉकः– 08.08.2016

स्थान :– हल्द्वानी।

हस्ताक्षर

नाम – (डॉ0 सी0 एस0 सनवाल)

सरकारी मोहर– प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी.